२३/१२/२५

पत्रावली पेश। वकील पक्षी उप० आये। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर तकमील के बाद होकर पत्रावली जिला लेख्यागार में शामिल हो

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर. खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :— सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

प्रार्थनापत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
25/24	07.05.2024	23.12.2025

बउनवान

1. संजय कुमार पुत्र श्री रामकंवार जाति गुसाई निवासी मकान संख्या न0 267 वाटर टैंक मंशा मन्दिर देवली गांव दिल्ली साउथ दिल्ली हाल निवासी जागीवाडा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:— प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

<u>अप्रार्थी</u>

प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

श्री संजय कुमार —: वकील प्रार्थी

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी ख० नं० हाल 934/0.01 हैक्0, 935/0.46 हैक्0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.47 हैक्०, वाके ग्राम जागीवाडा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है। जो आराजी प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न प्रार्थना पत्र है।
2. यह है कि आराजी ख0 नं0 हाल 934, 935 वाके ग्राम जागीवाडा तहसील मुण्डावर में स्थित है जिसके राजस्व रिकोर्ड में मिन प्रार्थी के पिताजी रामकंवार पुत्र ख्याली का हिस्सा 1/12 दर्ज है जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न प्रार्थना पत्र है। जिसमें राजस्व रिकोर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा मेरे पिता की जाति जाट दर्ज कर दी गयी है जबकि हमारी जाति गुसाई है। इसलिये राजस्व रिकोर्ड में जाति की दुरूस्ती बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक आया है।
3. यह है कि आराजी मुतनाजा प्रार्थी के पिता की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है जिस पर अब प्रार्थी व पूर्व में प्रार्थी का पिता

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। आराजी के कब्जे काश्त का कोई विवाद मौके पर नहीं है।

4. यह है कि सं0 2048 से 2051 तक में प्रार्थी के पिताजी रामकंवार की जाति सही दर्ज है इसके उपरान्त से ही राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी के पिता की जाति राजस्व रिकोर्ड में गलत दर्ज की गयी है। सं0 2048 से 2051 की जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल संलग्न प्रार्थना पत्र है।
5. यह है कि आराजी मुतनाजा में प्रार्थी के पिता रामकंवार पुत्र ख्याली की जाति गुसाई की जगह जाट राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से दर्ज कर दिया गया है।
6. यह है कि प्रार्थी के पिता की जाति राजस्व रिकोर्ड में गलत जाट दर्ज रहने से प्रार्थी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह रहा है एवं ना ही अपना विरासत इंतकाल दर्ज करवा पा रहा है तथा प्रार्थी आराजी को विक्रय, विनिमय करने से वंचित रह रहा है।
7. यह है कि प्रार्थी अब दिनांक 01/05/2024 को अप्रार्थी से सम्पर्क किया और अपने पिता की जाति जाट के स्थान पर गुसाई कराने के लिये निवेदन किया तो अप्रार्थी ने जाति दुरूस्त करने से मना कर दिया और कहा कि अदालत से आदेश लेकर आओ इसलिये अविलम्ब ही प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी आया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में आराजी ख0 नं0 हाल 934/0.01 हैक0, 935/0.46 हैक0, वाके ग्राम जागीवाडा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में प्रार्थी के पिता की जाति जाट को दुरूस्त कर उसके स्थान पर गुसाई अंकित किये जाने के आदेश फरमाये जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करावाई गई, अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया गया। जो निम्न प्रकार से है कि

मुताविक हल्का पटवारी रिपोर्ट रामकंवार पुत्र ख्याली के राजस्व रिकॉर्ड ग्राम जागीवाडा में आराजी खसरा संख्या 934/0.01 है0 व 935/0.46 है0 भूमि में जाति जाट दर्ज है जो कि गलत है जबकि खातेदार की पूर्व के राजस्व रिकॉर्ड में जाति गुसाई अंकित है। अतः संलग्न राजस्व रिकॉर्ड, प्रार्थी के जाति प्रमाण पत्र व प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार खातेदार रामकंवार पुत्र ख्याली की जाति जाट के स्थान पर जाति गुसाई शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2048–2049, जमाबन्दी सम्वत 2070, मिलान क्षेत्रफल 2070, अन्य पिछडा वर्ग प्रमाण पत्र, राम कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 पेश की।

प्रार्थी पक्ष की बहस

प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 पूर्णतः तथ्यात्मक, विधिसंगत एवं न्यायोचित है।

यह निवेदन किया गया कि विवादित आराजी खसरा संख्या 934 रकबा 0.01 हैक्टेयर एवं 935 रकबा 0.46 हैक्टेयर ग्राम जागीवाडा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा में स्थित है, जो खातेदार स्व. रामकंवार पुत्र ख्याली की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि रही है। खातेदार की मृत्यु उपरान्त प्रार्थी उनके वैधानिक उत्तराधिकारी हैं।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार रामकंवार पुत्र ख्याली की जाति गुसाई के स्थान पर जाट अंकित होना मात्र एक लिपिकीय/तथ्यात्मक त्रुटि है, न कि किसी प्रकार का अधिकार विवाद। पूर्ववर्ती जमाबन्दी संवत 2048–2049 से 2051 तक में खातेदार की जाति सही रूप से गुसाई दर्ज है, जिससे यह सिद्ध होता है कि बाद के वर्षों में राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश गलत प्रविष्टि की गई।

यह भी तर्क दिया गया कि हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि पूर्व के राजस्व अभिलेखों में खातेदार की जाति गुसाई अंकित रही है तथा वर्तमान प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण है, जिसको दुरुस्त किये जाने की स्पष्ट अनुशंसा की गई है। पटवारी रिपोर्ट, जमाबन्दी अभिलेख, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं मृत्यु प्रमाण पत्रकृसभी साक्ष्य परस्पर एक–दूसरे की पुष्टि करते हैं।

विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि जाति की गलत प्रविष्टि के कारण प्रार्थी को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने, विरासत इंतकाल दर्ज कराने तथा भूमि के वैधानिक हस्तांतरण/विनिमय में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है।

अन्त में यह निवेदन किया गया कि चूंकि प्रकरण में किसी प्रकार का स्वामित्व, कब्जा या खातेदारी विवाद नहीं है और मात्र अभिलेखीय त्रुटि का सुधार किया जाना है, अतः धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत यह

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय पूर्णतः सक्षम है कि उक्त त्रुटि को दुरुस्त करने का आदेश पारित करे।

अतः प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रार्थना की गई कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार स्व. रामकंवार पुत्र ख्याली की जाति जाट के स्थान पर गुसाई दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जावें।

विवेचन एवं आदेश

प्रार्थी संजय कुमार पुत्र स्व. श्री रामकंवार जाति गुसाई निवासी ग्राम जागीवाडा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा द्वारा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, संलग्न अभिलेख, हल्का पटवारी की रिपोर्ट, तथा प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण किया गया। प्रकरण में तथ्य यह है कि ग्राम जागीवाडा स्थित आराजी खसरा संख्या 934 रकबा 0.01 हैक्टेयर एवं 935 रकबा 0.46 हैक्टेयर, कुल रकबा 0.47 हैक्टेयर के राजस्व अभिलेखों में खातेदार रामकंवार पुत्र ख्याली की जाति जाट अंकित पाई गई है, जबकि पूर्व के राजस्व अभिलेखों (जमाबन्दी संवत 2048–2049 से 2051 तक) में खातेदार की जाति गुसाई दर्ज है।

हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पूर्ववर्ती राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार रामकंवार पुत्र ख्याली की जाति गुसाई दर्ज रही है तथा वर्तमान रिकॉर्ड में जाति जाट अंकित होना त्रुटिपूर्ण है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं जमाबन्दी अभिलेखों से भी यह तथ्य पुष्ट होता है कि खातेदार की वास्तविक जाति गुसाई है।

यह भी स्पष्ट है कि उक्त जाति संबंधी त्रुटि से प्रार्थी को विरासत इंतकाल दर्ज कराने, सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने तथा भूमि के वैधानिक उपयोग/विनिमय में अनावश्यक बाधा उत्पन्न हो रही है। उक्त त्रुटि राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से हुई प्रतीत होती है, जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

अतः उपलब्ध साक्ष्यों, दस्तावेजों एवं पटवारी रिपोर्ट के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि राजस्व अभिलेखों में खातेदार रामकंवार पुत्र ख्याली की जाति जाट के स्थान पर गुसाई अंकित किया जाना विधिसम्मत एवं उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
आदेशित किया जाता है कि ग्राम जागीवाडा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा स्थित आराजी खसरा संख्या 934 रकबा 0.01 हैक्टेयर एवं 935 रकबा 0.46 हैक्टेयर के समस्त प्रासंगिक राजस्व अभिलेखों में खातेदार स्व. रामकंवार पुत्र ख्याली की जाति जाट के स्थान पर गुसाई दुरुस्त रूप से अंकित की जावे। सम्बंधित हल्का पटवारी एवं राजस्व रिकॉर्ड शाखा को आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)